राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

National Commission for Protection of Child Rights

"आओ हम सब मिलकर बाल भिक्षावर्ती रोकें"

- बच्चों से भिक्षा मंगवाना एक क़ानूनी एवम् सामाजिक अपराध है|
- प्राथमिक शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है|
- बच्चों से भीख न मंगवाये और न ही अपने आस-पास ऐसा होने दे|
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधान 76 के अनुसार; उल्लंघन किये जाने पर:
  - पांच साल तक का कारावास
  - या एक लाख तक का जुर्माना
  - **और यदि कोई भी व्यक्ति बच्चों को अपंग करके भिक्षावर्ती करवाता हे तो उपरोक्त अधिनियम के अनुसार;**
    - सात साल से लेकर दस साल तक का कठिन कारावास
    - या पांच लाख तक का जुर्माना
- **चुप न रहें, जहां बच्चों को भीख मांगता देखें, तो तुरंत शिकायत करें|**
  - जिला कलेक्टर कार्यालय,
  - पुलिस (100),
  - चाइल्ड लाइन (1098),
  - बाल कल्याण समिति,
  - समाज कल्याण विभाग
- उपरोक्त दिए अधिकारियों / संस्थाओं को आप मौखिक या लिखित शिकायत कर सकते हैं|
- कोई भी नागरिक पुलिस मे इसकी शिकायत कर सकता है|
- आपकी शिकायत गोपनीय रखी जाएगी और बच्चो को भिक्षावर्ती से मुक्त कराया जायेगा|
- अगर कोई आपकी शिकायत नही सुनता है तो आप इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सम्पर्क कर सकते हें|

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
5वा तला, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली -110001
Phone: 011-23478200, Fax: 011-23724026
For Complaint: www.ebaalnidan.nic.in, Visit http://www.ncpcr.gov.in